न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

दर्शन कुमार वैष्णव पुत्र श्री ललित वैष्णव, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट् कॉर्नर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही
स्थाई पताः 1042, रुपनगर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No. 80/2025

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः

प्रतिवादी दर्शन कुमार वैष्णव

–ः निर्णय ः– **दिनांक 03 फरवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 07–8–2025 को मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट् कॉर्नर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता दर्शन कुमार वैष्णव पुत्र श्री ललित वैष्णव, निवासी– रुपनगर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2775, खाद्य विश्लेषक, पब्लिक हेल्थ लेबोरटरी, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1327/Act/2025/1327 दिनांक 21–8–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी दर्शन कुमार वैष्णव, इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 03–2–2026 को उपस्थित हुआ एवं लिखित जबाव प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी दर्शन कुमार वैष्णव को आज ही सुना गया। जिसने अनुरोध किया कि उसने मावा नही बनाया है व उसने मावा बीकानेर के व्यापारी से खरीदा था। उसने मावें में कोई मिलावट नही की है। उसका व्यापार छोटा सा है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 07–8–2025 को 2–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट् कॉर्नर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी दर्शन कुमार वैष्णव पुत्र श्री ललित वैष्णव, निवासी– रुपनगर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट् कॉर्नर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री के निरीक्षण के दौरान मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट् कॉर्नर,

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री की दुकान के अन्दर स्टील की ट्रे में लगभग 3 (तीन) किलोग्राम मिल्क केक (दूध चीन से निर्मित), आमजन को बिक्री हेतु रखा हुए पाया, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता दर्शन कुमार वैष्णव को गवाह श्री खुशाल पुत्र कानाराम, निवासी– कालन्द्री, जिला– सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट् कॉर्नर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री की दुकान के अन्दर एक स्टील की ट्रे में आमजन को बिक्री हेतु रखे हुये लगभग 3 (तीन) किलोग्राम खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) में से 2 (दो) किलोग्राम मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 800/– (रुपये आठ सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता दर्शन कुमार वैष्णव को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) की चारों नमूना बोतलों में फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर चारों नमूना बोतलों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2775, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी दर्शन कुमार वैष्णव व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) की चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) की चारों नमूना बोतलों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता दर्शन कुमार वैष्णव तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दर्शन कुमार वैष्णव व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 08–8–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 07–8–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर, द्वारा मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट् कॉर्नर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री में प्रतिवादी विक्रेता दर्शन कुमार वैष्णव पुत्र श्री ललित वैष्णव, निवासी– रुपनगर,

.....पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

कालन्द्री, तहसील व जिला— सिरोही से खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2775 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1327/Act/2025/1327 दिनांक 21—8—2025 में खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी दर्शन कुमार वैष्णव पुत्र श्री ललित वैष्णव, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स महाल़क्ष्मी स्वीट् कॉर्नर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला— सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अप़राध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) (नमूना संख्या S-2775) के विक्रय हेतु प्रतिवादी दर्शन कुमार वैष्णव पुत्र श्री ललित वैष्णव, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स महाल़क्ष्मी स्वीट् कॉर्नर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला— सिरोही, स्थाई पताः रुपनगर, कालन्द्री, तहसील व जिला— सिरोही पर राशि रुपये 25,000/— (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी दर्शन कुमार वैष्णव पुत्र श्री ललित वैष्णव, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स महाल़क्ष्मी स्वीट् कॉर्नर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 03 फरवरी, 2026 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)